क्रम-संख्या–212

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 19 अक्टूबर, 2016
आश्विन 27, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 17 / 2016 / 2791 / 6-पु-1–16-650(59)-2002 टी०सी०
लखनऊ, 19 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

स0प0नि0–79

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा–2 के साथ पठित धारा–46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

नियम–6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, विद्यमान नियम–6 में, उप नियम (1) में, नीचे स्तम्भ में–1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
बीस प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से परिशिष्ट–"घ" में विहित प्रकिया के अनुसार विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने :–	बीस प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से परिशिष्ट में विहित प्रकिया के अनुसार विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने :–
(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;	(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;
(दो) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 50 वर्ष से अधिक आयु पूरी न की हो;	(दो) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 50 वर्ष से अधिक आयु पूरी न की हो;
(तीन) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट अन्य समस्त अर्हता रखता हो;	(तीन) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट अन्य समस्त अर्हता रखता हो;
परन्तुक यह कि यदि समूह 'घ' के कर्मचारियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।	परन्तुक यह कि यदि समूह 'घ' के कर्मचारियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

नियम–10 का संशोधन

3– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10–सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता	**10–सीधी भर्ती हेतु आवश्यक अर्हताएं**
(1) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)	**(1) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)**
(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता;	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण अथवा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करे);	(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);
(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र।	(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र।
(2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)	**(2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)**
(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता;	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
(ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करें);	(ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);
(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र।	(ग) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर मे "ओ" स्तर का प्रमाण-पत्र।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)	(3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)
(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता;	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता;
(ख) न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करें);	(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाये);
(ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शार्ट हैण्ड श्रुतलेख;	(ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख;
(घ) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण-पत्र।	(घ) डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण-पत्र।

नियम–11 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिए गए विद्यमान नियम–11 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11–अधिमानी अर्हता	11–अधिमानी अर्हता
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:–	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:–
(1) डोएक/नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो;	(1) डोएक/नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो;
(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो;	(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो;
(3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो;	(3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो;
(4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	(4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
अधिमान्यता दिये जाने का तरीका विभागाध्यक्ष की सहमति से बोर्ड द्वारा निर्णीत किया जायेगा।	

नियम–16 का संशोधन

5– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिए गए विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
रिक्तियों की अवधारणा:–	रिक्तियों की अवधारणा:–
16–कार्यालयाध्यक्ष भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और नियम–7 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और	16–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और नियम–7 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या की सूचना, बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रूप से अधिसूचित की जायेंगी:– (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अग्रेंजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके; (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा, एवं (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके, (चार) पुलिस के वेबसाइट तथा सूचना विभाग को सम्मिलित करके बहु संचार के किसी अन्य माध्यम द्वारा।	और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरूष एवं महिला पदों की रिक्तियों की संख्या अलग–अलग बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा एवं तत्पश्चात पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की रिक्तियां बोर्ड द्वारा पृथक रूप से समाचार पत्रों एवं जन संचार के अन्य माध्यमों से अधिसूचित की जायेगी ।

नियम–17 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में, दिए गए विद्यमान नियम–17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17–सीधी भर्ती की प्रक्रिया:– **(क) आवेदन-पत्र** (एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन-पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है। (दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं, के लिये न्यूनतम, अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक अंक के संबंध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाये, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से जैसा वह आवश्यक समझें, उपलब्ध करायी जायेगी। (तीन) आवेदन-पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ	**17–सीधी भर्ती की प्रक्रिया:–** **(क) आवेदन पत्र एवं बुलावा-पत्र** कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन-पत्र भरेगा। बोर्ड, केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा। आवेदन-पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे वेबसाइट पर प्रदर्शित अथवा अधिसूचना में प्रकाशित किया जायेगा । सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी क्रम पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है। **(ख) लिखित परीक्षा** ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायं, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र रखा जाएगा:–

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

सूचना से युक्त है, तो आवेदन–पत्र को निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(चार) आवेदक, अपने प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पॉच) आवेदन-पत्र में पहचान विवरण, विशिष्ट पहचान-पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स विवरण इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(छः) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(नौ) अभ्यर्थी अपने आवेदन में उपखण्ड (एक) में यथा विहित अपनी वरीयता का क्रमशः उल्लेख करेगा जो चयन की दशा में आवंटन का आधार होगा। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गयी वरीयता अन्तिम होगी एवं इसके पश्चात किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) बुलावापत्र

अभ्यर्थियों के लिए बुलावा पत्र परीक्षा के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाऊनलोड करेगा और इसे पश्चातवर्ती परीक्षा के लिये लायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा

अभ्यर्थी, जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाते है, से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी:–

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

विषय	अधिकतम अंक
1–सामान्य हिन्दी/ कम्प्यूटर ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2–सामान्य जागरूकता/ सामयिक विषय	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3–संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4–मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा अधिसूचना में प्रकाशित की जाएगी।

(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा के लिये बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर पर विनिश्चित करेगा। अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नलिखित हैं:–

1–पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:–

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 163 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 156 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
विषय क्रम	अधिकतम अंक	
1–सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक	
2–सामान्य जागरूकता/सामायिक विषय (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक	
3–संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक	
4–मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक	
टिप्पणी:– परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–क में विहित है। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।		**टिप्पणी:–** न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।
(घ) अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा		**2– महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं:–**
ऐसे अभ्यर्थी जो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल होते हैं, उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा परिशिष्ट–ख के अनुसार संचालित की जाएगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।		**(क) ऊँचाई :**
(ङ) कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा		(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।
भाग (घ) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गति अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी से, उसके आवेदन-पत्र में भरे विकल्प के अनुसार, हिन्दी अथवा अंग्रेजी टंकण परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जायेगी । केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होगें, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।उपर्युक्त परीक्षा हेतु समस्त पाठ्यक्रम, बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से विनिश्चित किया जायेगा तथा वेबसाइट पर सम्यक रूप से प्रकाशित किया जायेगा।		(दो) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।
		(ख) वजन :
		महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।
		इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
		इस परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या अधिसूचना में प्रकाशित की जायेगी।
		कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अग्रतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
		(घ) कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा
		भाग (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गति अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
नोट:–समस्त वीडियो रिकार्ड में व्यक्तिगत गोपनीयता बनाई रखी जायेगी तथा समस्त अभिलेख बोर्ड में सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय को या जांच अधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर बोर्ड के स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे।	अभ्यर्थी को हिन्दी टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। परीक्षा हेतु प्रकिया को बोर्ड द्वारा विनिश्चित कर अपनी वेवसाइट पर प्रदर्शित अथवा विज्ञप्ति में प्रकाशित किया जाएगा।
(च) चयन तथा अन्तिमयोग्यता सूची	**(ङ) चयन तथा अन्तिमयोग्यता सूची**
ऐसे अभ्यर्थियों से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो में से,उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर, प्रत्येक पद के लिये आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ ऐसे समस्त अभ्यथियों की सूची, अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में से जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर, प्रत्येक पद के लिये आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के अनुसार के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों सहित ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।
टिप्पणी :–यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के क्रमानुसार किया जायेगा:–	**टिप्पणी** :–यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो उनकी ज्येष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा:–
(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त **नियम–11** में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।	(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (**नियम–11** में कथित क्रम के अनुसार), यदि कोई हों, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
(2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।	(2) भले ही यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी।
(3) यदि उपरिलिखित के वावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।	(3) यदि उपरिलिखित के वावजूद भी, एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान, उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(छ) चिकित्सा परीक्षण भाग (च) के अनुसार प्रेषित सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी । चिकित्सा परीक्षण, सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किये गये स्थान पर संचालित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण परिशिष्ट–ग के अनुसार संचालित होगा। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। **(ज) चरित्र सत्यापन** नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।	**(च) चिकित्सा परीक्षण** ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके नाम खण्ड (ङ) के अनुसार चयन सूची में हों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा करेगा। कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह स्वयं परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक पर अपील करने में असफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षा से सम्बन्धित किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में सम्बन्धित आवेदक के चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा । **(छ) चरित्र सत्यापन** नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

नियम–20 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20–परिवीक्षा (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग	**20–परिवीक्षा** (1) इस नियमावली के अधीन किसी भी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए गए सेवा के किसी सदस्य की परिवीक्षा के मामलों के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली,

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय: परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त मे नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग संतोषप्रद रूप से करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	2013 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे । (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग संतोषप्रद रूप से करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

8– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए परिशिष्ट– क, ख, ग एवं घ के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात परिशिष्ट–क, ख, ग एवं घ

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट परिशिष्ट 'क' लिखित परीक्षा हेतु प्रकिया (नियम–17(ग) देखें)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट परिशिष्ट चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा की प्रकिया (नियम–6(1)(ख) देखें)
(1) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे। किसी भी मुंशी (स्कांइब) या सहायक को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी। (2) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो बोर्ड अभ्यर्थी को हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाईल फोन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।	1–समस्त श्रेणी 'घ' के पात्र कर्मियों को (नियम–10 के साथ पठित नियम–6) टंकण परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। 2–टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों से 100 अंको की लिखित परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। विभागाध्यक्ष के परामर्श से लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जायेगा और रिक्तियों की अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
(3) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिन और एक ही समय पर आयोजित की जायेगी।	लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची (merit list) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो उन अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हो, आयु में ज्येष्ठ हो तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अंग्रेजी वर्णमाला में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर।
(4) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कॉपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कॉपी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की दूसरी कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।	3–बोर्ड द्वारा अधिसूचित कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये योग्यता (merit) के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।
(5) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।	4–विभागाध्यक्ष, सूची को अनुमोदित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।
(6) बोर्ड समस्त अभ्यर्थियों के (ओ.एम. आर.) उत्तर पत्रकों को उत्तर कुंजी के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।	5–पदोन्नति हेतु, चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची, विभागाध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
(7) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न–पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये अनुदेशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।	
(8) सभी प्रश्नो एवं उत्तरो की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेगी। तथापि एक या अधिक प्रश्न-पत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प अनोखा नही है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आवंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियो को दिये जायेगें, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो ।	
(9) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठय-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेगीं।	

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
विद्यमान परिशिष्ट	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
(10) बोर्ड किसी पश्न—पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-पंत्र में संयुक्त कर सकता है।	
(11) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है, जिसे परीक्षा की विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा, और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाये तब तक बोर्ड अग्रेतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता हैं जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों।	
(12) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।	
(13) अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंन्तिम होगा।	
परिशिष्ट 'ख' **अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा** **(नियम—17(घ) देखें)** **अभिलेखों की संवीक्षा**	
(1) अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—	
(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलक्टर अध्यक्ष होगा;	
(ख) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक;	
(ग) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।	
जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य	

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम–निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे । (2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। (3) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान बोर्ड, किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे। **शारीरिक मानक परीक्षण** शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त उल्लिखित समिति किसी अन्य राजकीय/कर्मचारी की सहायता ले सकता है। **(1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैः–** **(क) ऊँचाई :** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 166 सेन्टीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 158 सेन्टीमीटर है। **(ख) सीनाः** सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। नोटः–न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।	

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैः– **(क) ऊँचाई :** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है। **(ख) वजन :** महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। (3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। (4) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बॉट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा। (5) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा, एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा उपरोक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं अग्रतर किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी। **सामान्य अनुदेश :–** (1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। (2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित	

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
जनपद में परीक्षा संचालन हेतु गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा । अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा। (3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले किसी अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी । (4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का परीणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा ।	

परिशिष्ट 'ग'

(नियम–17(छ) देखें)

चिकित्सकीय परीक्षण

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा। (1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। (2) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा। (3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सा दोष से संबन्धित विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। (4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे। (5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता है। **टिप्पणी:**–चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा-नाक-नी, वी-लेग्स, फ्लैट-फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रीनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जॉच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। चिकित्सा परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण संचालित करा सकता है।	

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'घ' चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा प्रक्रिया (नियम–6(ख) देखें) 1–सभी चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मियों को (नियम-6 सपठित नियम-10) टंकण परीक्षा देनी होगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। 2–टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को 100 अंको की लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष से परामर्श कर सुनिश्चित किया जायेगा और रिक्तियों की अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर श्रेष्ठता सूची (merit list) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करतें है तो उन अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हो, आयु में ज्येष्ठ हो तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र में अंग्रेजी वर्णमाला में लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर। 3–बोर्ड द्वारा अधिसूचित कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये श्रेष्ठता (merit) के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष को सौंपेगा। 4–विभागाध्यक्ष सूची को अनुमोदित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा। 5–पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची, विभागाध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित की गयी हो बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।	आज्ञा से, देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह।